

crops

दैनिक अखबार 'इण्डियन नेशनल' में एडिटोरियल भी लिखे गये। 19 तारीख को वहाँ पर मुजफ्फरपुर में बन्द का आयोजन किया गया और इसको विरोधी दल एक आन्दोलन के रूप में उठाना चाहते हैं मैं चाहता हूँ कि जिसकी स्थापना 1972 में हमारी सरकार के समय में हुई थी जो 1978 में चालू हुआ इस दूरदर्शन केन्द्र की कनकता नहीं जानें दें। हो सकता है कुछ दिनों के बाद जब पटना में केन्द्र बनेगा तब यह हमारे दूसरे चैनल के रूप में काम आ सकता है। इसलिए सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि दूरदर्शन को ले जानें से मुजफ्फरपुर का जीवन जो कलात्मक ढंग से आगे बढ़ रहा था उसका ह्रास होगा अतः इस आन्दोलन को आप बचाने की कृपा करें।

REFERENCE TO ALLEGED ABSENCE OF SAFETY MEASURES AT IFFCO, PHULPUR

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir; I am thankful to you for permitting me to raise this important question. There is grave concern and anxiety among the people in Allahabad and adjoining districts, who are apprehensive of the repetition of the Bhopal gas tragedy in Allahabad and areas within 50 kilometres of it because of alleged lack of adequate safety measures in the IFFCO factory at Phulpur in Allahabad district.

The matter has assumed such seriousness and urgency that the Allahabad High Court had to take cognizance of it and issue directions to the Union Agriculture Ministry to depute a team of experts to visit the factory and submit a report within one month about the additional precautions to be taken by the IFFCO. The High Court has also asked the IFFCO unit to ensure that all safety rules and operating instructions as given in the Safety Manual are followed. It is really regrettable that the IFFCO and the Government have not been alive

to the seriousness of the situation. Six well-known public organisations of Allahabad have alleged in a writ petition that a number of mishaps had already taken place on account of negligence in following the safety rules at this factory. They fear that if such accidents are not checked it might result in a big disaster which may ruin the entire area within a radius of fifty kilometres around the factory. If this assessment is correct, it is indeed a matter of great concern that the IFFCO has not learnt any lessons from the Bhopal gas tragedy.

I would urge upon the Minister to personally look into the matter immediately and tackle the issue on a war footing. He should ensure that a really competent team of experts is immediately rushed to Phulpur for a correct assessment of the situation and no attempt should be made to hide anything. If the situation is as bad as alleged, corrective measures must be taken immediately and one should not wait for a month or so as given by the High Court. The concern among the large sections of the people must be removed because it is a question of the life and death of the people. Thank you.

REFERENCE TO ALLEGED DANGER OF PYRILLA ON SUGARCANE CROPS

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर उत्तर प्रदेश के गन्ना पैदा करने वाले प्रांतों में खाम तौर से उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल में कीड़ा लगा हुआ है और फसल बरबाद हो रही है। यह क्रम पिछले दो महीने से जारी है। मैं आपको याद दिलाऊँ, इसी सदन के पिछले अधिवेशन में यह प्रश्न उठा था उसके बाद सरकार ने कुछ कोशिश की, किसानों ने कुछ कोशिश की और इस फसल के ऊपर हाथ से चलने वाली जो मशीनें होती हैं उनसे छिड़काव करवाया कीटनाशक दवाओं का, लेकिन मैं यह

[श्री शांति त्यागी]

अर्ज करना चाहता हूँ कि उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ। कल के "हिंदुस्तान टाइम्स" में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय की एक रिपोर्ट मुझे पढ़ने को मिली है जिसमें यह क्लेम किया गया है कि बहुत बड़ी हद तक इस कीड़े की बीमारी के ऊपर काबू पा लिया गया है। मान्यवर, मैं खुद खेती करता हूँ, माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी यहां पर बैठे हुए हैं, राजस्थान, बिहार और हरियाणा के भी माननीय सदस्य जो खुद खेती करते हैं, बड़ी खेती करते हैं, इस सदन के अंदर हैं वे मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे कि बाबजूद ग्राउंड स्प्रे के जो गन्ना सोसाइटीज आदि ने करवाया—जिसमें सेंटर का कोई हाथ नहीं है—बीमारी बढ़ी है। मैं इस प्रश्न को नहीं उठाता लेकिन मैं खुद देखकर आ रहा हूँ बीमारी जारी है और अगस्त-सितम्बर में मानसून के दो महीने हैं जिसमें गन्ने का पौधा आगे बढ़ेगा। अभी बीमारी ने इसको दो-ढाई फिट कर रखा है। अगर बीमारी खत्म हो तभी यह आगे बढ़े। इस बात पर बहस हो चुकी है कि जब तक हवाई स्प्रे नहीं होगा—और जितने छोटे हवाई जहाज होते हैं वे केन्द्र के पास होते हैं—इनके जरिये जब तक कीट नाशक दवाओं का छिड़काव नहीं होगा तब तक पायरिला कीड़ा नहीं खत्म होगा। वह गन्ने की जड़ में बैठ गया है और चूंकि एटमास्फियर में माइस्चर भी काफी है इसलिए सिर्फ एरियल स्प्रे ही इसका रास्ता है। इसीलिए आपके माध्यम से, चूंकि मंत्री जी तो होते नहीं स्पेशल मेशन में, मैं यह चाहता हूँ कि आप हमारे इस अनुरोध को सरकार तक भेजें कि वह सब न करवायें और बढ़ा-चढ़ा कर रिपोर्ट न पेश करें, मेहरबानी करके एरियल स्प्रे उत्तर प्रदेश, राजस्थान या जहां कहीं भी जरूरत हो, वह करवा दें, तो गन्ने की फसल बच जाएगी वरना गन्ने को फसल तबाह हो जाएगी। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय श्री त्यागी जी ने जो स्पेशल

मेशन उठाया है, पहले सदन की सिटिंग में मैं इस प्रश्न को उठा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में, बिहार, हरियाणा और राजस्थान के प्रदेशों में भी इस पायरिला की बीमारी का भयंकर प्रकोप है, मान्यवर, इसने बहुत भारी नुकसान किया है, ईख से उड़ती है चारे पर चली जाती है और चारे में उड़ती है तो ईख पर चली जाती है और अभी तक कोई प्रभावकारी कदम केन्द्र की या प्रदेश की सरकारों की तरफ से नहीं उठाया गया है। जो प्रश्न उन्होंने आपके सामने रखा है और आपसे प्रार्थना की है कि आप अपनी तरफ से इसको केन्द्रीय कृषि मंत्री जी को भेजेंगे, प्रदेश की सरकार को भेजेंगे जिसमें कि किसान के हितों की रक्षा हो सकेगी और यह फसल बचाई जा सकेगी।

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मुन ले।

यह जो मामला उठाया गया है, यह पिछले सत्र में भी उठाया गया था। इस मामले को जब भी उठाया गया था जब भी कहा गया, तो जो जवाब सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को दिये हैं और जो हमारे सदन में उठाई गई बातों के जवाब में हमको मिले हैं, उनमें बिलकुल ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला बनता है। सरकार को पूरी तरह से गुमराह किया गया है और पूरी तरह से गलत जानकारी माननीय प्रधान मंत्री जी को और जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको गलत जानकारियां दी गई हैं और कोई कार्यवाई इस सिलसिले में नहीं की गई है। न सिर्फ यह, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी गलत सलाह दी गई कि इस वक्त स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, जब कि अगर उस वक्त हुआ होता—तो इस पर बहस की जा सकती है।

तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह रिचुअल न हो जाए कि जिस तरह से यहां में जाए और जवाब हो जाए, मैं इसमें ब्रीच आफ प्रिविलेज करता हूँ। मैं इस पर ब्रीच आफ प्रिविलेज

आपको लिखित दूगा और मैं चाहूंगा कि आप इस पर पूरी तरह से इसकी जांच करवाये।

उपसभाध्यक्ष (श्री सन्तोष कुमार साहू) : यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मलिक : मैं इसको रिटर्न नोटिस दूंगा। मैंने गलती की कि मैंने बिना लिखित दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री सन्तोष कुमार साहू) : आपने जो बताया, सही है, जो इतना नुकसान हो रहा है, उसके लिए कदम उठाने चाहिए। इसलिए हम एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर को लिख देंगे, पर यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है।

REFERENCE TO REPORTED DE- FORESTATION OF CORBETT PARK AREA

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Yesterday, one of the leading newspapers published a very disturbing news which I would share with the House and bring to the notice of Government. About 50 Kilometres from this Corbett National Park, there is an area of about 72 bighas called the Land of Corbett with a bungalow where Jim Corbett lived during the early decades of the century. Unfortunately, during the last few years, in this area; deforestation is taking place very rapidly, seriously affecting the ecology of the area and also affecting National Park. After the death of Mr. Corbett in April 1955 in Kenya where he had migrated, his sister donated this area of 72 bighas to the people of Kaladungi for public welfare and the transaction was conducted by an attorney in Kenya through the Standard Bank of South Africa, Nairobi. This land, instead of passing to the public is now in the hands of a local landowner who, through money power, clinched the deal with the Government. He is using this land for his personal farming and is cutting down all trees at

a great speed. It is said that a tree 50 or 60 years old fetches as much as Rs. 50,000. All the trees in this area are more than 100 years old. As a result, he is taking lot of benefit from this area due to the carelessness of the Government, in preserving the ecology of the area and saving the forests. This land is very near the National Park. I request that in the interest of the National Park and preservation of the ecology of the area, this deforestation should be stopped and the question how this ownership has passed on to a private landowner when it was donated for public purposes; should be investigated. This land should be acquired by the Government immediately in the interest of the National Park.

THE COAL MINES (CONSERVATION AND DEVELOPMENT) AMEND- MENT BILL, 1984—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): We shall now continue with the discussion of the Coal Mines (Conservation and Development) Amendment Bill, 1984. Shri Ramakrishnan.

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a rather innocuous Bill. But such innocuous Bills also give us an opportunity to discuss not only the issues concerning the Bill, but also other issues which are very relevant and related to the subject. During Sessions of the Rajya Sabha, we do not get adequate time to discuss all important issues which are affecting the nation. One such thing is coal. I am very happy that an opportunity has been afforded by this Bill. Anyway, my friend Mr. Vasant Sathe, need not be alarmed. I am not going to initiate any controversial discussion on either the coal policy of the Govern-